

दिल्ली



सत्यमेव जयते

राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3j
No. 3jदिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2012/फाल्गुन 25, 1933
DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2012/PHALGUNA 25, 1933[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 317
[N.C.T.D. No. 317

भाग—III

PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
शुद्धिपत्र

दिल्ली, 15 मार्च, 2012

सं. फा. 3(290)/टैरिफ/दि.वि.वि.आ./2011-12/
सी.एफ. 3180/6800.—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (जनरेशन
शुल्क-दर के निर्धारण के लिए शर्तों) विनियम, 2011 एनसीटीडी नं.
253, दिनांक 19-1-2012 राजपत्र विशेष भाग-III के द्वारा अधि
सूचित किया गया है।

2. इस विनियम के अंग्रेजी रूपांतरण में कुछ कमियां पायी गई
हैं, जिन्हें निम्नलिखित शुद्धि-पत्र के द्वारा सुधार करने की आवश्यकता
है :-

- 3.i. खंड A2:1(ii) में उल्लिखित "A6:8 A6:10" को
"A6:8 से A6:10" पढ़ा जाए।
- ii. खंड A2:1(xxv) में उल्लिखित "खंड A7:1 और खंड
A7:9" को "खंड A7:1 से A7:7 और A7:9 से A7:11"
पढ़ा जाए।
- iii. खंड A5:11 में उल्लिखित "खंड (10) (a) से (e)"
को "खंड A5:10 (i) से (v)" पढ़ा जाए।
- iv. खंड A6:1 (b) में उल्लिखित "खंड 3" को "खंड
A6:3 से A6:7" पढ़ा जाए।
- v. खंड A6:1 (c) में उल्लिखित "खंड 8 और 10" को
"खंड A6:8 से A6:10" पढ़ा जाए।

- vi. खंड A6:8 (iii) में उल्लिखित "खंड 1.3" को "खंड
A6:1 से A6:7" पढ़ा जाए।
 - vii. खंड A6:24 में उल्लिखित "खंड 22" को "खंड
A6:22 और A6:23" पढ़ा जाए।
 - viii. खंड A6:37 (iii) में उल्लिखित "खंड 54-71" को
"खंड A6:54 से A6:71" पढ़ा जाए।
 - ix. खंड A6:38 (iii) में उल्लिखित "खंड 54-71" को
"खंड A6:54 से A6:71" पढ़ा जाए।
 - x. खंड A6:39 में उल्लिखित "खंड 37 और 38" को
"खंड A6:37 और A6:38" पढ़ा जाए।
 - xi. खंड A6:49 में उल्लिखित "खंड 14-18" को "खंड
A6:14 से A6:18" पढ़ा जाए।
 - xii. खंड A6:72 में उल्लिखित "खंड A7.9" को "खंड
A7:9 से A7:11" पढ़ा जाए।
 - xiii. खंड A6:82 में उल्लिखित "खंड A7.9" को "खंड
A7:9 से A7:11" पढ़ा जाए।
 - xiv. खंड A7:21 में उल्लिखित "खंड 1.9" को "खंड
A7:1 से A7:7" और "खंड A7:9 से A7:11" पढ़ा जाए।
 - xv. खंड A7:38 में उल्लिखित "खंड 42" को "खंड
A7:42" पढ़ा जाए।
4. यह शुद्धि-पत्र आयोग के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

श्रीमती जयश्री रघुरमन, सचिव